समाहरणालय,मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 138/शस्त्र, दिनांक 20-06-2015 के द्वारा आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव-2015 में विधि-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराये जाने के निमित्त जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र दिनांक 24-07-2015 से 27-07-2015 तक संबंधित थाना में उपस्थित रहकर भौतिक सत्यापन करने का निदेश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान सचिव से रेल परियोजना के भू-अर्जन मामले पर विचार विमर्श करने के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा के साथ अंचल अधिकारी, मधेपुरा को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। इसलिए अंचल अधिकारी, मधेपुरा की अनुपस्थिति में शस्त्र का भौतिक सत्यापन करने हेतु उनके स्थान पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को प्रतिनियुक्त किया जाता है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर मधेपुरा थाना में उपस्थित रहकर अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र का भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा

ज्ञापांक 151 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक- 23.7.15

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदा0, मधेपुरा/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा/ अंचल अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/07/15

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा